सं0-1299/xxviii (3)-2004-231/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक : १५ मार्च, 2005

विषय: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डामटा जनपद उत्तरकाशी के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/पी0एच0सी0/34/2002/29536 दिनांक 20.12.2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डामटा जनपद उत्तरकाशी, के भवन निर्माण हेतु रू0 39,12,000.00 (रू0 उनतालीस लाख बारह हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 14,00,000.00 (रू0 चौदह लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2- कार्य कराते समय लो0नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जावे। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3. उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जाएगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल, को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जावे।

4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

5- आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाए।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जावे।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद की धनराशि दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जावेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नीव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नीव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15- उक्त भवन के अधूरे/निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए तत्पश्चात परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर नये कार्य प्रारम्भ किया जाए।

16. बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, डी.जी.एस.एन.डी. की दरें अथवा टेंडर/कोटेशन विषयों के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जाए।

17. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

18- निर्माण कार्य जून 2006 से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए।

19- उक्त व्यय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210 -चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय - आयोजनागत -02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 91-जिला योजना, 102-नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (सामान्य) (विस्तार अंश) 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0- 1430/वित्त अनुभाग-2/2004 दिनांक 20.3.05 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक - यथोपरि

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-1222(1)/xxviii (5)-2004-231/2004 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार उत्तरांचल, देहरादून।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तरकाशी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम उत्तरांचल।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
7. वित्त अनुभाग-2
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)

संयुक्त सचिव